न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 119/2022–23

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचाँची से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचाँची के पत्रांक– 67, दिनांक– 30.01.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक चामु महतो, पिता– स्व0 टुकलाल महतो उर्फ टोपलाल महतो, साकिम– चितरपुर, थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– चितरपुर, मौजा नं0– 47, खाता नं0– 13, प्लॉट सं0– 2997, क्रमशः रकवा– 4.25 डिसमील भूमि क्रेता दीनु महतो, पिता– स्व0 उगन महतो, साकिम– गेन्दनवाडीह, थाना–तोपचाँची, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कुर्मी है तथा विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 68.75 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 15:57:15 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner